

## संसदीय वशिष्याधिकारों का हनन

**स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स**

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टपिपणी कर्या जाने के पश्चात् कुछ संसदों के खलिफ संसदीय वशिष्याधिकार हनन का औपचारक नोटसि दायर कर्या गया।

- वशिष्याधिकार का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सदस्य या सदन के वशिष्याधिकारों, अधिकारों या उन्मुक्तयों की अवहेलना करता है या उन पर आक्रमण करता है।
- परचय: संसदीय वशिष्याधिकार और उन्मुक्ति सांसदों और वधियकों को बाहरी हस्तक्षेप के बना उनका प्रभावी कार्य-चालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदत्त वशिष्य अधिकार हैं।
- स्रोत:
  - संवधिन का अनुच्छेद 105, 122, 194 और 212।
  - संसदीय परंपराएँ (वर्ष 1947 की ब्रटिश संसदीय परिपाठी पर आधारित)।
  - प्रक्रया एवं कार्य-संचालन नियम (लोकसभा और राजसभा)
  - न्यायक निवाचन (सरदोचच न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियन्य)
  - सांवधिक वधियाँ (संसद द्वारा अधनियमति वधियाँ) (वर्तमान में, संसदीय वशिष्याधिकारों को परभिष्टि करने वाला संसद का कोई अधनियम नहीं है)।
- संसदीय वशिष्याधिकार में शामल हैं:
  - वैयक्तिक वशिष्याधिकार: अभियक्ता की स्वतंत्रता, वधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति आदी
  - सामूहिक वशिष्याधिकार: गुप्त बैठकें, अन्वेषण शक्तियाँ, न्यायक उन्मुक्ति आदी
- अनुच्छेद 87 के तहत, राष्ट्रपति, लोकसभा के लिये प्रत्येक साधारण निवाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा।

और पढ़ें: [संसदीय वशिष्याधिकार और उन्मुक्तयों](#)